इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 287] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 21 जुलाई 2015—आषाढ़ 30, शक 1937

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 21 जुलाई 2015

क्र. 16062-वि.स.-विधान-2015.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम, 64 के उपबंधों के पालन में, मध्यप्रदेश औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक, 2015 (क्रमांक 6 सन् 2015) जो विधान सभा में दिनांक 21 जुलाई 2015 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ६ सन् २०१५

मध्यप्रदेश औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक, २०१५

विषय-सूची.

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.

२. परिभाषाएं.

३. बल का गठन

४. पर्यवेक्षण अधिकारियों की नियुक्ति तथा शक्तियां.

५. बल के नामांकित सदस्यों की नियुक्ति.

६. बल के सदस्यों के प्रमाण-पत्र.

७. बल का अधीक्षण तथा प्रशासन.

८. बल के सदस्यों के कर्तव्य.

९. बल का परिनियोजन.

१०. वारन्ट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति.

११. वारंट के बिना तलाशी लेने की शक्ति.

१२. गिरफ्तारी के पश्चात् अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया.

१३. औद्योगिक स्थापनों को तकनीकी परामर्शी सेवाएं देने का उपबंध.

१४. औद्योगिक सुरक्षा बल के सदस्यों को पुलिस अधिकारियों के समान विशेषाधिकार तथा दायित्वों का होना.

१५. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.

१६. अपराधों का संज्ञान.

१७. बल के सदस्यों को सदैव कर्तव्य पर समझा जाना तथा राज्य में तथा राज्य के बाहर भी नियोजित किया जा सकना.

१८. दण्ड और अपीलें.

१९. संगम इत्यादि बनाने के अधिकार के विषय में निर्बंधन.

२०. निलंबन के दौरान बल के सदस्यों के उत्तरदायित्व.

२१. बल का सदस्य न रह गए व्यक्तियों द्वारा प्रमाण-पत्र, आयुध आदि का अभ्यर्पण.

२२. १९२२ के अधिनियम क्रमांक २२ का बल के सदस्यों को लागू होना.

२३. कतिपय अधिनियमों का बल के सदस्यों पर लागू न होना.

२४. नियम बनाने की शक्ति.

२५. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ६ सन् २०१५

मध्यप्रदेश औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक, २०१५

औद्योगिक स्थापनाओं, औद्योगिक उपक्रमों, निजी औद्योगिक उपक्रमों या संस्थाओं, वाणिज्यिक और वित्तीय संस्थाओं, विद्युत् उत्पादन केन्द्रों, रिफायनरियों, धार्मिक महत्व के स्थानों, पुरातात्विक और विरासत स्थलों, हवाई अड्डों और हैलीपैडों, राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों, शासकीय भवनों, मेट्रो नेटवर्क, स्वशासी निकायों, शासकीय संस्थापनाओं तथा केन्द्रीय तथा राज्य की संस्थाओं को संरक्षण और सुरक्षा प्रदान करने के लिये तथा निजी क्षेत्र की औद्योगिक स्थापनाओं को तकनीकी परामर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिये राज्य के एक सशस्त्र बल का गठन करने तथा उसका विनियमन करने तथा उससे संसक्त तथा आनुषांगिक विषयों का उपबंध करने हेतु विधेयक.

भारत के गणराज्य के छियासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, २०१५ है.

(२) इसका विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश पर है.

(३) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

परिभाषाएं.

२. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''स्वशासी निकाय'' से अभिप्रेत है स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाली अथवा उस प्रकार कार्य करने की स्वतंत्रता रखने वाली कोई संस्था;

(ख) ''संज्ञेय अपराध'' का वही अर्थ होगा जो दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ का २) की धारा २ के खण्ड (ग) में इसके लिए दिया गया है;

(ग) ''महानिदेशक'' से अभिप्रेत है धारा ४ के अधीन नियुक्त बल का महानिदेशक;

(घ) ''बल का भरती किया गया सदस्य'' से अभिप्रेत है अवर अधिकारी से अनिम्न पद श्रेणी का, बल का कोई अधीनस्थ अधिकारी, अवर अधिकारी या कोई अन्य सदस्य;

(ङ) ''बल'' से अभिप्रेत है धारा ३ के अधीन गठित राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल;

(च) ''सरकार'' से अभिप्रेत है राज्य सरकार;

(छ) ''औद्योगिक स्थापना'' से अभिप्रेत है कंपनी अधिनियम, २०१३ (२०१३ का १८) की धारा ३ के अधीन यथापरिभाषित कोई औद्योगिक उपक्रम या कोई कंपनी या भारतीय भागीदारी अधिनियम, १९३२ (१९३२ का ९) की धारा ५९ के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई फर्म जो कि किसी उद्योग या किसी व्यापार, कारबार या सेवा में लगी हुई है;

(ज) ''औद्योगिक उपक्रम'' से अभिप्रेत है किसी अनुसूचित उद्योग से संबंधित कोई उपक्रम और इसमें सम्मिलित है कोई उपक्रम जो किसी ऐसे अन्य उद्योग या किसी व्यापार, कारबार या सेवा में लगा है

जो कि संसद् या राज्य के विधान-मण्डल द्वारा बनाई गई विधि द्वारा विनियमित किए जा सकते हों;

(झ) ''सार्वजनिक क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रम'' से अभिप्रेत है ऐसे औद्योगिक उपक्रम जो—

(एक) कंपनी अधिनियम, २०१३ (२०१३ का १८) की धारा २ के खण्ड (४५) में यथापरिभाषित किसी सरकारी कंपनी द्वारा;

(दो) राज्य के किसी अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी ऐसे निगम द्वारा, जो कि सरकार द्वारा नियंत्रित हो तथा जिसका प्रबंध सरकार द्वारा किया जाता हो, धारित, नियंत्रित हो अथवा उनके द्वारा उसका प्रबंध किया जाता हो.

(ञ) ''संयुक्त उपक्रम'' से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा किसी निजी औद्योगिक उपक्रम के साथ संयुक्त रूप से हाथ में लिया गया कोई उपक्रम;

(ट) किसी औद्योगिक उपक्रम के संबंध में ''प्रबंध निदेशक'' से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति (चाहे वह प्रबंध अभिकर्ता, महाप्रबंधक, प्रबंधक, मुख्य कार्यपालक अधिकारी या किसी अन्य नाम से ज्ञात हो) जिसका उस उपक्रम के कार्यों पर नियंत्रण हो;

(ठ) ''बल का सदस्य'' से अभिप्रेत हैं इस अधिनियम के अधीन बल में नियुक्त कोई व्यक्ति;

(ड) ''परिनियोजन का स्थान'' से अभिप्रेत हैं औद्योगिक स्थापनाएं, औद्योगिक उपक्रम, निजी औद्योगिक उपक्रम या संस्थाएं, वाणिज्यिक और वित्तीय संस्थाएं, विद्युत् उत्पादन केन्द्र, पारेषण और वितरण कंपनी, रिफायनरी, धार्मिक महत्व के स्थान, पुरातात्विक और विरासत स्थल, हवाई अड्डे व हैलीपैड, राष्ट्रीय अथवा राज्य राजमार्ग, सरकारी भवन, मैट्रो नेटवर्क, स्वशासी निकाय, केन्द्र और राज्य की संस्थाएं, सामरिक महत्व के अत्यावश्यक संस्थापन इत्यादि, जिनके संरक्षण और सुरक्षा के लिए इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन बल को परिनियोजित किया जा सकेगा;

(ढ) ''विहित'' से अभिप्रेत इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित ;

(ण) निजी औद्योगिक उपक्रम'' से अभिप्रेत है कोई ऐसा उद्योग जो केन्द्रीय या राज्य सरकार से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा धारित, नियंत्रित हो या उसके द्वारा उसका प्रबंध किया जाता हो या सार्वजनिक क्षेत्र में का कोई औद्योगिक उपक्रम;

(त) ''अनुसूचित उद्योग'' से अभिप्रेत है उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९५१ (१९५१ का ६५) की प्रथम अनुसूची में उल्लिखित वस्तुओं के विनिर्माण या उत्पादन में लगा हुआ कोई उद्योग;

(थ) ''सामरिक महत्व के अत्यावश्यक संस्थापन'' से अभिप्रेत है विशेष संरक्षण की आवश्यकता वाले समस्त ऐसे अत्यावश्यक और अति संवेदनशील स्थल अथवा क्षेत्र जिन्हें कि समय-समय पर सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए;

(द) ''अधीनस्थ अधिकारी'' से अभिप्रेत है निरीक्षक, उप निरीक्षक या सहायक उप निरीक्षक के रूप में बल में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति;

(ध) ''पर्यवेक्षण अधिकारी'' से अभिप्रेत है धारा ४ के अधीन नियुक्त कोई अधिकारी और इसमें सम्मिलित है बल के पर्यवेक्षण अधिकारी के रूप में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई अन्य अधिकारी;

(न) ''अवर अधिकारी'' से अभिप्रेत है हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल के रूप में बल में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति.

बल का गठन.

३. (१) राज्य सरकार द्वारा, परिनियोजन के स्थान के संरक्षण और सुरक्षा के लिए तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करने के लिए जो कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर उसे सौंपे जाएं, औद्योगिक सुरक्षा बल के नाम से ज्ञात एक सशस्त्र बल गठित और संधारित किया जाएगा.

(२) बल में उतने पर्यवेक्षण अधिकारी अंतर्विष्ट होंगे जितने के विहित किए जाएं और वे ऐसा वेतन और अन्य पारिश्रमिक प्राप्त करेंगे जो कि विहित किया जाए:

परन्तु इस उपधारा की कोई भी बात भारतीय पुलिस सेवा के सदस्यों के वेतन भत्तों तथा अन्य सेवा शर्तों को लागू नहीं होगी.

(३) बल का मुख्यालय भोपाल में अथवा ऐसे अन्य स्थान पर होगा जिसे कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए.

पर्यवेक्षण अधिकारियों की नियुक्ति तथा शक्तियां.

४. (१) सरकार, किसी व्यक्ति को बल का महानिदेशक नियुक्त करेगी तथा उतने अन्य पर्यवेक्षण अधिकारी जैसे अतिरिक्त महानिदेशक, महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक, सहायक महानिरीक्षक, कमाण्डेंट डिप्टी कमाण्डेंट, असिस्टेंट कमाण्डेंट नियुक्त कर सकेगी जितने की आवश्यक समझे जाएं.

(२) महानिदेशक तथा इस प्रकार नियुक्त प्रत्येक अन्य पर्यवेक्षण अधिकारी ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो कि विहित किए जाएं.

बल के नामांकित सदस्यों की नियुक्ति.

५. महानिदेशक या ऐसा पर्यवेक्षण अधिकारी जिसे कि सरकार द्वारा प्राधिकृत किया जाए, ऐसी रीति में जैसी कि विहित की जाए, बल के सदस्यों को भर्ती करेगा.

बल के सदस्यों के प्रमाण-पत्र.

६. (१) बल का भर्ती किया गया प्रत्येक सदस्य, उसकी नियुक्ति पर, विहित प्ररूप में महानिदेशक अथवा ऐसे अन्य पर्यवेक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर तथा मुद्रा से, जिसे कि महानिदेशक इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, एक प्रमाण-पत्र प्राप्त करेगा और ऐसा प्रमाण-पत्र धारण करने वाले व्यक्ति में बल में भर्ती किए गए सदस्य की शक्तियां निहित हो जाएंगी.

(२) ऐसे प्रमाण-पत्र का उस स्थिति में स्वत: ही अवसान हो जाएगा जबकि वह व्यक्ति जिसके कि पक्ष में यह जारी किया गया हो, किसी भी कारण से बल का भर्ती किया गया सदस्य नहीं रह जाता है.

बल का अधीक्षण तथा प्रशासन.

७. (१) महानिदेशक, सरकार के सर्वोपरि नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए बल का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होगा. वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो कि विहित किए जाएं.

(२) उपधारा (१) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए बल का प्रशासन, ऐसी स्थानीय सीमाओं के भीतर, जैसी कि विहित की जाएं, अतिरिक्त महानिदेशक, महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक, सहायक महानिरीक्षक अथवा कमान्डेंट, डिप्टी कमान्डेंट, और असिस्टेंट कमान्डेंट द्वारा अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा और राज्य में बल के परिनियोजन के स्थानों के संरक्षण तथा सुरक्षा के लिए नियुक्त किया गया भारसाधक अधिकारी ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर कार्य करेगा जो कि विहित किए जाएं और ऐसे निदेशों के अध्यधीन रहते हुए, जैसे के सरकार अथवा महानिदेशक द्वारा इस निमित्त दिए जाएं, अपने कृत्यों का निर्वहन, परिनियोजन के ऐसे स्थान के भारसाधक प्राधिकारी के साथ सामंजस्य बना कर करेगा.

बल के सदस्यों के कर्तव्य.

८. बल के प्रत्येक अधिकारी तथा सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वह —

(एक) अपने वरिष्ठ अधिकारी द्वारा उसे दिए गए समस्त विधिपूर्ण आदेशों का पालन तथा निष्पादन करे;

(दो) परिनियोजन के स्थान तथा उससे संलग्न किन्हीं संस्थापनों के परिसरों, उनकी स्थापनाओं तथा आस्तियों का संरक्षण तथा उनकी सुरक्षा करना;

(तीन) खण्ड (दो) में यथाविनिर्दिष्ट परिनियोजन के स्थान के कर्मचारियों और अधिकारियों का संरक्षण तथा उनकी सुरक्षा करना;

(चार) खण्ड (दो) में निर्दिष्ट परिनियोजन के स्थान तथा खण्ड (तीन) में निर्दिष्ट कर्मचारियों और अधिकारियों के संरक्षण तथा सुरक्षा में सहायक कोई अन्य कार्य करना;

(पांच) परिनियोजन के स्थान और उसके आसपास कानून और व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाने के कारण स्थानीय पुलिस बल को, उसके आने पर सहयोग और सहायता प्रदान करना.

बल का परिनियोजन.

९. (१) सरकार के सामान्य निदेशों और ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जैसी कि विहित की जाएं, बल के प्रभारों की वसूली के अध्यधीन रहते हुए, महानिदेशक के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह परिनियोजन के स्थान के भारसाधक अधिकारी से, उसकी आवश्यकता को दर्शाते हुए, इस निमित्त अनुरोध प्राप्त होने पर, उतनी संख्या में, जितनी कि महानिदेशक उसके तथा उससे संलग्न किन्हीं संस्थापनों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए आवश्यक समझे, बल के सदस्यों को परिनियोजित कर सकेगा और इस प्रकार परिनियोजित बल का सदस्य महानिदेशक अथवा उसके निमित्त किसी अन्य अधिकारी द्वारा यथाविनिर्दिष्ट अधिकारी अथवा प्राधिकारी के अधिकार के अधीन रहेगा:

परन्तु उस दशा में, जहां कि कोई स्थापना, संस्था, स्वशासी निकाय, उपक्रम, सामरिक महत्व के या अत्यावश्यक संस्थापना किसी द्वारा किसी ऐसी कम्पनी द्वारा नियंत्रित हों अथवा उसके द्वारा उनका प्रबन्ध किया जाता हो, जिसमें कि राज्य सरकार का कोई हित न हो, वहां सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसे अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा.

(२) यदि महानिदेशक का यह मत है कि उपधारा (१) के अधीन परिनियोजन के किसी स्थान के सम्बन्ध में बल के सदस्यों के परिनियोजन की आवश्यकता उत्पन्न करने वाली परिस्थितियां समाप्त हो गई हैं, तो वह इस प्रकार परिनियोजित बल के सदस्यों को, उसके लिए कोई कारण बताए बिना, वापस बुला सकेगा.

(३) बल का प्रत्येक सदस्य जब वह अपनी परिनियोजन की कालावधि के दौरान किसी ऐसी स्थापना, संस्था, स्वशासी निकाय, उपक्रम, सामरिक महत्व के अथवा अत्यावश्यक संस्थापनों में अपने कृत्यों का निर्वहन कर रहा हो जो किसी ऐसी कम्पनी द्वारा नियंत्रित हों अथवा उसके द्वारा उनका प्रबन्ध किया जाता हो, जिसमें सरकार का कोई हित न हो, इस अधिनियम के अधीन उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेगा और उन्हीं उत्तरदायित्वों, अनुशासन और शास्तियों के अधीन रहेगा जिनके अधीन वह तब होता जबकि वह सरकार की किसी स्थापना, संस्था, स्वशासी निकाय, औद्योगिक उपक्रम अथवा सामरिक महत्व के तथा अत्यावश्यक संस्थापनों के सम्बन्ध में उन कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा होता.

वारन्ट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति.

१० (१) बल का कोई भी सदस्य वारन्ट के बिना, किसी ऐसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा,—

(एक) जो धारा ८ के खण्ड (चार) में विनिर्दिष्ट यथास्थिति, किसी कर्मचारी या अधिकारी को या उसे या बल के किसी अन्य सदस्य को उसके ऐसे कर्मचारी के रूप में कर्तव्य के निर्वहन में या ऐसे सदस्य के रूप में उसके कर्तव्य के निष्पादन में, या उसे ऐसे सदस्य के रूप में कर्तव्य के निर्वहन से रोकने या भयभीत करने के आशय से या उसे ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्तव्य के विधिपूर्ण निर्वहन के परिणामस्वरूप किसी कार्य को करने अथवा करने का प्रयास करने में स्वेच्छया उपहति कारित करता है या स्वेच्छया उपहति कारित करने का प्रयास करता है, या सदोष अवरोध करता है, या सदोष अवरोध करने का प्रयास करता है, या हमला करता है या हमला करने की धमकी देता है या आपराधिक बल का उपयोग करता है या उपयोग करने की धमकी देता है या प्रयास करता है;

(दो) जो किसी संज्ञेय अपराध को कारित किए जाने में संबद्ध रह चुका हो, अथवा जिसके विरुद्ध इस प्रकार संबद्ध रहने का युक्तियुक्त संदेह विद्यमान हो या जो ऐसी परिस्थितियों के अधीन अपनी उपस्थिति को छिपाने के लिए पूर्वावधानियां बरत रहा है जिससे यह विश्वास करने का कारण हो कि वह ऐसी पूर्वावधानियां किसी संज्ञेय अपराध को कारित करने की दृष्टि से, जिसका संबंध ऐसी संपत्ति से है, जो परिनियोजन के स्थान से संबंधित हो या उसमें विद्यमान हो;

(तीन) जो कोई ऐसा संज्ञेय अपराध कारित करता है या कारित करने का प्रयास करता है जिसमें परिनियोजन के स्थान से संबंधित कोई कार्य करने में लगे हुए किसी व्यक्ति के जीवन को खतरा अन्तर्वलित हो या खतरा अन्तर्वलित होने की संभावना हो.

(२) यदि कोई व्यक्ति परिनियोजन के स्थान के परिसरों में अतिचार करता हुआ पाया जाए तो उसे किन्हीं ऐसी अन्य कार्यवाहियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो उसके विरुद्ध की जा सकती हो, बल के किसी सदस्य द्वारा ऐसे परिसरों से हटाया जा सकेगा.

वारंट के बिना तलाशी लेने की शक्ति.

११ (१) जब भी बल के किसी सदस्य को यह विश्वास करने का कारण हो कि परिनियोजन के स्थान में कोई ऐसा अपराध जो कि धारा १० में निर्दिष्ट किया गया है, कारित किया गया है या कारित किया जा रहा है और अपराधी को बच निकलने या अपराध के साक्ष्य को छिपाने का अवसर दिए बिना तलाशी वारण्ट प्राप्त नहीं किया जा सकता है तो वह अपराधी को निरूद्ध कर सकेगा और उस व्यक्ति के सामान की तत्काल तलाशी ले सकेगा और यदि वह उचित समझे तो ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसके बारे में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि उसने अपराध कारित किया है, गिरफ्तार कर सकेगा.

(२) दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ का २) के तलाशियों से सम्बन्धित उपबंध इस धारा के अधीन तलाशियों को लागू होंगे.

गिरफ्तारी के पश्चात् अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया.

१२. इस अधिनियम के अधीन गिरफ्तारी करने वाला बल का कोई सदस्य, इस प्रकार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को तत्काल किसी पुलिस अधिकारी के सुपुर्द करेगा और किसी पुलिस अधिकारी की अनुपस्थिति में, उन परिस्थितियों की रिपोर्ट के साथ जिनके कारण गिरफ्तारी की गई है, ऐसे व्यक्ति को निकटतम पुलिस थाने ले जाएगा या भिजवाएगा.

औद्योगिक स्थापनों को तकनीकी परामर्शी सेवाएं देने का उपबंध.

१३. (१) उन साधारण निदेशों के अध्यधीन रहते हुए, जो कि सरकार द्वारा जारी किए जाएं, महानिदेशक के लिए वह विधिपूर्ण होगा कि वह निजी क्षेत्र के किसी औद्योगिक स्थापन के प्रबन्ध संचालक से या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति से अनुरोध प्राप्त होने पर, ऐसे औद्योगिक स्थापन को, ऐसी रीति में और ऐसी फीस का संदाय करने पर, जो कि विहित की जाए, सुरक्षा से संबंधित तकनीकी परामर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए बल के सदस्यों को निदेश दे.

(२) उपधारा (१) के अधीन प्राप्त फीस ऐसी रीति में, जैसी कि विहित कि जाए, संचित निधि में जमा की जाएगी.

औद्योगिक सुरक्षा बल के सदस्यों को पुलिस अधिकारियों के समान विशेषाधिकार तथा दायित्वों का होना.

१४. राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल का प्रत्येक सदस्य, उसकी नियुक्ति पर तथा जब तक कि वह बल का सदस्य बना रहता है, पुलिस अधिकारी समझा जाएगा और जब वह इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा हो अथवा उसके द्वारा वैसा निर्वहन किया जाना तात्पर्यित हो, तथा उन निबन्धनों, शर्तों तथा निर्बन्धनों के अध्यधीन रहते हुए, जो कि विहित किए जाएं, और जहां तक कि वे इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के किन्हीं उपबंधों से असंगत न हों, उन्हें पुलिस अधिनियम, १८६१ (१८६१ का ५) अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन सम्यक्रूप से नामांकित पुलिस अधिकारी के समस्त विशेषाधिकार तथा संरक्षण प्राप्त होंगे और वे पुलिस अधिकारी के समान समस्त दायित्वों, शास्तियों और दण्ड के अध्यधीन होंगे.

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.

१५. बल के विरुद्ध या उसके किसी अधिकारी या सदस्य के विरुद्ध या बल के अथवा उसके किसी अधिकारी या सदस्य के आदेश या निदेश के अधीन कार्य कर रहे किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन, सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए तात्पर्यित किसी बात के लिए किसी न्यायालय द्वारा कोई वाद या अभियोजन ग्रहण नहीं किया जाएगा.

अपराधों का संज्ञान.

१६. कोई भी न्यायालय, सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना बल के किसी सदस्य के विरुद्ध, अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए अथवा किए जाने के लिए तात्पर्यित किसी कृत्य के सम्बन्ध में किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा.

बल के सदस्यों को सदैव कर्तव्य पर समझा जाना तथा राज्य में तथा राज्य के बाहर भी नियोजित किया जा सकना.

१७. (१) बल का प्रत्येक सदस्य सदैव कर्तव्य पर समझा जाएगा और मध्यप्रदेश राज्य के भीतर या राज्य के बाहर भी किसी भी समय, किसी भी स्थान पर नियोजित किया जा सकेगा.

(२) बल का कोई भी सदस्य स्वयं को इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों से भिन्न किसी नियोजन या कार्यालय में नहीं लगाएगा.

दण्ड और अपीलें.

१८. संविधान के अनुच्छेद ३११ तथा उन नियमों के, जो कि राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन बनाए, उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, पर्यवेक्षण अधिकारी—

(एक) बल के भर्ती किए गए किसी ऐसे सदस्य को, जिसे वह असावधान, अपने कर्तव्य के निर्वहन में उपेक्षावान या उसके लिए अनुपयुक्त समझता है, बर्खास्त कर सकेगा, हटा सकेगा, अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश कर सकेगा या पंक्ति में अवनत कर सकेगा; या

(दो) बल के भर्ती किए गए किसी सदस्य को, जो अपने कर्तव्य का लापरवाहीपूर्ण या उपेक्षापूर्ण रीति में निर्वहन करता है या जो अपने स्वयं के किसी कार्य द्वारा उसके निर्वहन हेतु अनुपयुक्त हो जाता है, निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक दण्ड दे सकेगा, अर्थात् :—

(क) जुर्माना, जो सात दिन के वेतन से अनधिक किसी भी राशि तक का हो सकेगा, या वेतनमान में कमी करना:

परन्तु पर्यवेक्षण अधिकारी लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले विशेष कारणों से, सात दिन के वेतन से अधिक जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा;

(ख) ड्रिल, अतिरिक्त पहरेदारी, असैनिक सेवा या कोई अन्य कार्य;

(ग) किसी विशिष्ट पद से हटाना या किसी विशेष परिलाभ से वंचित करना;

(घ) संचयी प्रभाव सहित या उसके बिना वेतनवृद्धि रोकना;

(ङ) पदोन्नति रोकना;

(च) परिनिंदा करना.

इस धारा के खण्ड (एक) या (दो) के अधीन दिए गए किसी आदेश से व्यथित बल का भर्ती किया गया कोई सदस्य उस तारीख से, जिसको कि उसे आदेश संसूचित हुआ है, तीस दिन के भीतर उस आदेश के विरुद्ध ऐसे प्राधिकारी को, जिसे कि विहित किया जाए, अपील प्रस्तुत कर सकेगा. विहित प्राधिकारी, किसी अपील का निराकरण करने में ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जैसी कि विहित की जाए:

परन्तु विहित प्राधिकारी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी के पास समय-सीमा में अपील प्रस्तुत न किए जाने के पर्याप्त कारण थे, तीस दिन की उक्त कालावधि का अवसान हो जाने के पश्चात् भी अपील ग्रहण कर सकेगा.

संगम इत्यादि बनाने के अधिकार के विषय में निर्बंधन.

१९(१) बल का कोई भी सदस्य, सरकार या विहित प्राधिकारी की लिखित में पूर्व अनुमति के बिना,—

(क) किसी भी व्यापार संघ, मजदूर संघ, राजनैतिक दल अथवा व्यापार संघों, मजदूर संघों अथवा राजनैतिक दलों के महासंघ का सदस्य नहीं होगा अथवा उनसे किसी भी रूप में सहयुक्त नहीं होगा; या

(ख) किसी अन्य सोसाइटी, संस्था, संगम या संगठन का, जो कि बल के भाग के रूप में मान्यताप्राप्त नहीं है या जो विशुद्ध रूप से सामाजिक, आमोद प्रमोद संबंधी या धार्मिक प्रकृति का नहीं है, सदस्य नहीं बन सकेगा या उससे किसी अन्य प्रकार से सहयुक्त नहीं हो सकेगा; या

स्पष्टीकरण—यदि इस संबंध में कोई प्रश्न उद्‌भूत होता है कि कोई सोसाइटी, संस्था, संगम या संगठन इस उपधारा के खण्ड (ख) के अधीन विशुद्ध रूप से सामाजिक, आमोद प्रमोद संबंधी या धार्मिक प्रकृति का है या नहीं तो ऐसी दशा में सरकार का विनिश्चय उस पर अंतिम होगा.

(ग) किसी भी प्रेस से संपर्क नहीं करेगा या कोई भी पुस्तक, पत्र या अन्य दस्तावेज प्रकाशित नहीं करेगा या प्रकाशित नहीं करवाएगा, सिवाय तब के जबकि ऐसी संसूचना या प्रकाशन उसके वास्तविक कर्तव्य के निर्वहन के लिए हो, या वह बिल्कुल साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक प्रकृति की हो.

(२) बल का कोई भी सदस्य किसी भी राजनैतिक प्रयोजन के लिए किसी सम्मिलन या प्रदर्शन में भाग नहीं लेगा या उसे संबोधित नहीं करेगा.

निलंबन के दौरान बल के सदस्यों के उत्तरदायित्व.

२०. बल के किसी सदस्य की, उसके पद से निलंबित हो जाने के कारण सदस्यता समाप्त नहीं होगी और वह उस कालावधि के दौरान भी उन्हीं उत्तरदायित्वों, अनुशासन और शास्तियों के अध्यधीन होगा जिनके अध्यधीन वह कर्तव्यारूढ़ होने की दशा में होता.

बल का सदस्य न रह गए व्यक्तियों द्वारा प्रमाण-पत्र, आयुध आदि का अभ्यर्पण.

२१(१) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो किसी कारण से भर्ती किया गया बल का सदस्य नहीं रह जाता है, अपना नियुक्ति प्रमाण-पत्र, आयुध, साजसज्जा, वस्त्र तथा अन्य वस्तुएं, जो उसे बल के सदस्य के रूप में कर्तव्यों का पालन करने के लिए दी गई हों, किसी ऐसे पर्यवेक्षक अधिकारी को तत्काल अभ्यर्पित कर देगा जो उन्हें प्राप्त करने के लिए सशक्त हो.

(२) कोई व्यक्ति जो उपधारा (१) में यथा अपेक्षित वस्तुओं का अभ्यर्पण करने में जानबूझकर उपेक्षा करता है अथवा अभ्यर्पण करने से इंकार करता है, आर्थिक फायदों के समपहरण और विधि के अधीन अभियोजन का दायी होगा.

(३) इस धारा में की कोई भी बात किसी ऐसी वस्तु को लागू नहीं समझी जाएगी जो कि महानिदेशक के आदेशों के अधीन, उस व्यक्ति की, जिसे वह दी गई हो, संपत्ति हो गई हो.

१९२२ के अधिनियम क्रमांक २२ का बल के सदस्यों को लागू होना.

२२. पुलिस (अप्रीति उद्दीपन) अधिनियम, १९२२ (१९२२ का २२) बल के सदस्यों को उसी प्रकार लागू होगा जैसा कि वह पुलिस बल के सदस्यों को लागू होता है.

कतिपय अधिनियमों का बल के सदस्यों पर लागू न होना.

२३. मजदूरी संदाय अधिनियम, १९३६ (१९३६ का ४) अथवा औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ (१९४७ का १४) अथवा कारखाना अधिनियम, १९४८ (१९४८ का ६३) में अंतर्विष्ट कोई भी बात, स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित उसके उपबंधों के सिवाय बल के सदस्यों को लागू नहीं होगी.

नियम बनाने की शक्ति.

२४(१) राज्य सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी.

(२) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इन नियमों में निम्नलिखित के लिए उपबंध हो सकेंगे,—

(क) बल के सदस्यों के वर्गों, पंक्तियों, ग्रेडों, तमगों, वेतन और पारिश्रमिक का तथा बल में उनकी सेवा शर्तों का विनियमन;

(ख) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन कोई कृत्य करने के लिए प्राधिकृत बल के सदस्यों की शक्तियों और कर्तव्यों का विनियमन;

(ग) बल के सदस्यों के लिए सेवा की कालावधि नियत करना;

(घ) बल के सदस्यों को दिए जाने वाले आयुध, साजसज्जा, वस्त्र और अन्य आवश्यक वस्तुओं का प्रकार और उनकी मात्रा विहित करना;

(ङ) बल के सदस्यों के निवास स्थान विहित करना;

(च) बल के प्रशासन से संबद्ध किसी प्रयोजन के लिए किसी निधि की संस्थापना, उसका प्रबंध और विनियमन;

(छ) दण्डों का विनियमन और वे प्राधिकारी विहित करना जिन्हें दण्ड के, अथवा जुर्माने या अन्य दण्ड के परिहार के आदेशों से अपीलें की जाएंगी और ऐसी अपीलों को निपटाने के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(ज) वे निबंधन तथा शर्तें जिनके कि अध्यधीन रहते हुए बल के सदस्यों को धारा ९ के अधीन परिनियोजित किया जा सकेगा और उसके लिए प्रभार;

(झ) अग्न्यायुधों का उपयोग करने के लिए दिशानिर्देश विहित करना;

(ञ) किराए पर लेने वाली संस्थाओं के साथ संबंध बनाए रखने के लिए मानक विहित करना.

(3) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम उसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य की विधानसभा के समक्ष रखा जाएगा.

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.

२५. यदि इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है, तो राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों से अनअसंगत आदेश द्वारा कठिनाई दूर कर सकेगी:

परन्तु ऐसा कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से दो वर्ष की कालावधि का अवसान हो जाने के पश्चात् नहीं किया जाएगा.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राज्य में उद्योगों तथा संगठनों को सुरक्षा उपलब्ध कराने की दृष्टि से केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तर्ज पर वर्ष २०१३ में मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन किया गया था. बल में, प्रथम चरण में, प्रथम बटालियन रीवा, द्वितीय बटालियन सिंगरौली तथा राज्य मुख्यालय के लिए कुल १९८६ पदों का सृजन किया गया.

२. मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल के संचालन, प्रशासकीय प्रबंधन, अनुशासनिक कार्यवाही, अभिनियोजन, कर्तव्यों आदि को विनियमित करने की दृष्टि से यह प्रस्तावित है कि एक यथोचित अधिनियमिति बनाई जाए.

३. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

बाबूलाल गौर
भारसाधक सदस्य.

भोपाल :
तारीख २० मार्च, २०१५.

"संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित."

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा.

वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तावित मध्यप्रदेश औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक २०१५ के खण्ड ३,४ एवं ७ के उपबंधों के क्रियाशील होने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश राज्य की सिंचित निधि पर रुपये ६३,३३,०७,९४७ का आवर्ती व्यय तथा रुपये ७७,२५,५२,९७५ का अनावर्ती व्यय संभावित है.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित मध्यप्रदेश औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक २०१५ के जिन खण्डों द्वारा राज्य शासन को विधायनी शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जा रहा है, उनका विवरण निम्नानुसार है:—

खण्ड २. (थ)- विशेष संरक्षण की आवश्यकता वाले समस्त अत्यावश्यक और अति संवेदनशील स्थल अथवा क्षेत्र विनिर्दिष्ट किये जाने;

(ध)- बल के पर्यवेक्षण अधिकारी नियुक्त किये जाने;

खण्ड ३. (२)- बल के पर्यवेक्षण अधिकारियों की संख्या, उनके वेतन और अन्य पारिश्रमिक प्राप्त किये जाने;

(३)- बल का मुख्यालय विनिर्दिष्ट किये जाने;

खण्ड ४. (१)- बल का महानिदेशक एवं पर्यवेक्षण अधिकारी के रूप में अन्य अधिकारियों को नियुक्त किये जाने;

(२)- महानिदेशक तथा पर्यवेक्षण अधिकारी को शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का निर्वहन किये जाने;

खण्ड ५. महानिदेशक या पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा बल के सदस्यों की भर्ती करने;

खण्ड ७. (१) महानिदेशक को प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी की शक्तियों तथा कर्तव्यों के निर्वहन किए जाने;

(२) बल के प्रशासन की सीमाएं विहित किये जाने तथा बल के परिनियोजन के स्थानों के संरक्षण, सुरक्षा के लिये नियुक्त किये गये भारसाधक अधिकारी को कार्यपालक शक्तियां विहित किये जाने;

खण्ड १३. (१) निजी क्षेत्र के किसी औद्योगिक स्थापन से अनुरोध प्राप्त होने पर, औद्योगिक स्थापन की रीति एवं फीस विहित किये जाने तथा प्राप्त फीस संचित निधि में जमा किये जाने की रीति;

खण्ड १८ बल हेतु भर्ती किये गये सदस्यों को अपने कर्तव्यों से असावधान या उपेक्षावान होने पर दण्ड दिये जाने तथा अपील किये जाने; तथा

खण्ड २४(१) अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित किये जाने,

के संबंध में राज्य सरकार नियम बना सकेगी जो सामान्य स्वरूप के होंगे.

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.